जिला पदाधिकारी, मुंगेर सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2012 को जिला सुरक्षा समिति संबधी बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति –

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सुरक्षा समिति, मुंगेर।
2. श्री पी0 कन्नन, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
3. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर।

सर्वप्रथम अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा आवेदनों पर विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

(1) **श्री विद्यानन्द विकल, अध्यक्ष, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना :-**

श्री अरविन्द पाण्डेय, पुलिस महानिरीक्षक (क0व0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का जिला पदाधिकारी, पटना को सम्बोधित पत्र प्राप्त है जिसमें श्री विद्यानन्द विकल, अध्यक्ष, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना को पर्याप्त सुरक्षा देने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र की एक प्रति जिला पदाधिकारी, मुंगेर को भी प्राप्त है। पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उन्हे सुरक्षा हेतु अंगरक्षक पटना जिला के जिला सुरक्षा समिति की बैठक के निर्णयोपरान्त दिया जाना है। अतः मुंगेर जिला में इस पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

(2) **श्री एस0 सुधाकर (भा0व0से0), वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर :-**

श्री एस0 सुधाकर, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के ज्ञापांक 3370, दिनांक 30.10.12 द्वारा सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक एवं छह बंदूकधारी सिपाही की प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में निर्णय लिया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समय-समय पर वन क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में एक अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाये। तदोपरान्त अन्य आवश्कयता के मददेनजर पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करने का निर्णय लिया गया।

(3) **श्री राजीव कुमार उर्फ अनिल यादव, पूर्व मुखिया, महगामा, धरहरा :-**

श्री राजीव कुमार उर्फ अनिल यादव, पूर्व मुखिया, महगामा पंचायत, धरहरा द्वारा एक अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है। अपने आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि लटैयाटॉड में स्थायी पुलिस कैम्प की स्थापना हेतु राज्यपाल, बिहार, पटना के पक्ष में स्वेच्छा से अपने भाई द्वारा जमीन दान करवाने में उनकी भूमिका के कारण माओवादी संगठन द्वारा उन्हें कभी भी लच्छित किया जा सकता है। उनके आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर की अनुशंसा प्राप्त है। साथ ही 11 मई 2012 में धरहरा क्षेत्र में नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण के समय भी श्री

राजीव कुमार उर्फ अनिल यादव, पूर्व मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन कारणों से वास्तव में श्री राजीव कुमार उर्फ अनिल यादव, पूर्व मुखिया को नक्सलवादियों द्वारा निशाने पर लिये जाने का प्रयास किया जा सकता है एवं अगले कुछ समय तक उन्हे सुरक्षा देना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

अतः निर्णय लिया गया कि राजीव कुमार उर्फ अनिल यादव, पूर्व मुखिया, महगामा, पंचायत, धरहरा को एक अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23.11.12	23/11/12	23/11/12
पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर।	पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।	जिला पदाधिकारी मुंगेर।

ज्ञापांक 2241 /गो0, दिनांक 26/11/2012

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर/परिचारी प्रवर नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।